कार्यालय पुलिस उपायुक्त गोमती ज़ोन, कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक- 08.04.2024

विषय- थाना राजातालाब पुलिस ने अवैध तमंचा व कारतूस के साथ अभियुक्त मनीष वेनवंशी को किया गिरफ्तार*

श्रीमान् पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम, गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस उपायुक्त गोमती ज़ोन व अपर पुलिस उपायुक्त गोमती ज़ोन के पर्यवेक्षण में तथा सहायक पुलिस आयुक्त राजातालाब के कुशल नेतृत्व आज दिनांक 08.04.2024 को थाना राजातालाब पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर भीमचण्डी एच.ए.स वाटिका के आगे पुलिया के पास से 01 अदद तमंचा व 01 अदद मिस कारतूस 315 बोर के साथ अभियुक्त मनीष वेनवंशी पुत्र रामधनी वेनवंशी, नि0 मुंगवार, थाना राजातालाब, जिला वाराणसी उम्र 24 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी बरामदगी के सम्बन्ध में थाना राजातालाब पुलिस द्वारा धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पुछताछ का विवरणः- पूछताछ के दौरान अभियुक्त उपरोक्त ने बताया की साहब मै शौकिया तौर पर कट्टा रखा था। जिसको लेकर पूर्व में रील जो सोशल मीडिया में पोस्ट किया जो वायरल हो गया था। आज मै कट्टा लेकर जा रहा था कि आपने पकड़ लिया। साहब गलती हो गयी है अब इस प्रकार की पुनः गलती नही करूंगा।

गिरफ्तार का अभियुक्त का विवरणः-

1. मनीष वेनवंशी पुत्र रामधनी वेनवंसी, नि0 मुंगवार, थाना राजातालाब, जिला वाराणसी उम्र 24 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः- 01 अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद मिस कारतूस 315 बोर।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 0074/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना राजातालाब कमिश्नरेट वाराणसी।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरणः-*

1. उ0नि0 रविकान्त चौहान, चौकी प्रभारी कस्बा राजातालाब, थाना राजातालाब कमिश्नरेट वाराणसी।

2. उ0नि0 सोमन कुमार, चौकी प्रभारी मातलदेई थाना राजातालाब कमिश्नरेट वाराणसी।
3. हे0का0 बृजभूषण यादव, थाना राजातालाब, कमिश्नरेट वाराणसी।
4. हे0का0 सालिक सिंह यादव, थाना राजातालाब, कमिश्नरेट वाराणसी।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त,
गोमती-जोन, कमिश्नरेट वाराणसी ।